शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध/मा0 उच्चतम न्यायालय प्रकरण

प्रेषक,

संख्या– 844/241/NULM/तीन/2011(SUH)-II

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक
गिरी इन्सटीट्यूट आफ डेवलपमेन्ट स्टडीज
सेक्टर–ओ, अलीगंज
लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ। दिनांक दिसम्बर, 2017

विषयः– रिट याचिका (सिविल) संख्या 55/2003 एवं 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश के सभी शहरी निकायों में शहरी बेघरों के सर्वेक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में संस्थान के एसोसिएट प्रोफेसर श्री के0एस0 राव से हुई चर्चा के क्रम में राज्य शहरी आजीविका मिशन, सूडा उ0प्र0 द्वारा उत्तर प्रदेश के नगरीय निकायों में शहरी बेघरों का जी0आई0एस0, एम0आई0एस0 बेस्ड बायोमैट्रिक सर्वेक्षण हेतु आपके संस्थान से कराने का अनुरोध किया गया, जिस पर उक्त के सम्बन्ध में उनके द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

उक्त के क्रम में उत्तर प्रदेश के शहरी बेघरों का सर्वेक्षण संलग्न टी0ओ0आर0 एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत मिशन गाइडलाइन एवं सर्वेक्षण गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित समय सीमा दिनांक 02.01.2018 तक पूर्ण कराने का कष्ट करें।

सर्वेक्षण हेतु भुगतान, **गिरी इन्सटीट्यूट आफ डेवलपमेन्ट स्टडीज, सेक्टर–ओ, अलीगंज, लखनऊ** से प्राप्त प्रस्ताव एवं उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार आपसी सहमति के आधार पर तीन किश्तों में टी0ओ0आर0 के अनुरूप किया जायेगा।

शहरी बेघरों का सर्वेक्षण किये जाने हेतु निर्धारित टी0ओ0आर0, भारत सरकार द्वारा निर्गत सर्वेक्षण गाइडलाइन तथा शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना के दिशा निर्देश संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपलब्ध कराये जा रहे संलग्न अभिलेखों (टी0ओ0आर0 आदि) का अवलोकन करते हुए शहरी बेघरों के सर्वेक्षण का कार्य समयबद्ध रूप से कराने का कष्ट करें साथ ही पृथक रूप से दरों के सम्बन्ध में यथाशीघ्र प्रस्ताव भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सर्वेक्षण कार्य हेतु समयबद्धता एवं गुणवत्ता का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए अनुपालन किया जाना आवश्यक है। आपके द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्ताव

उपलब्ध कराने के उपरान्त टी0ओ0आर0 के अनुसार द्विपक्षीय मेमोरेण्डम आफ अन्डरस्टैण्डिंग मिशन निदेशक/निदेशक सूडा, उ0प्र0 एवं निदेशक **गिरी इन्सटीट्यूट आफ डेवलपमेन्ट स्टडीज** के मध्य किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश के समस्त शहरी निकायों में शहरी बेघरों का सर्वेक्षण समयबद्धता एवं गुणवत्तायुक्त टी0ओ0आर0 एवं गाइडलाइन्स के अनुसार कराने का कष्ट करें। विशेष रूप से यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी शहरी बेघर किसी भी स्थिति में छूटने ना पाये।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

Manoj 21.12.17

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

प्रत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन लखनऊ।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम एवं अधिशासी अधिकारी, उत्तर प्रदेश को उपरोक्तानुसार ससमय कार्यपूर्ण कराने के सम्बन्ध में आवश्यक सहयोग प्रदान हेतु।
4. समस्त सी0पी0ओ0/परियोजना निदेशक, शहर मिशन प्रबंधन इकाई, डूडा उत्तर प्रदेश।
5. समस्त परियोजना अधिकारी, डूडा, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि समन्वय कर उपरोक्त कार्य प्रत्येक दशा में ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
6. सहायक वेबमास्टर, सूडा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(राम नेवास)
विशेष सचिव